संख्या-03/2019/पी-722/अड़तीस-9-2018-09(बजट)/2017टी0सी0

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 11 जनवरी, 2019**

विषय- लोक निर्माण विभाग जनपद सोनभद्र के स्वीकृत मार्गों पर स्थित विद्युत पोल्स को शिफ्ट करने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3999/एफ-31/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2018-19 दिनांक-17.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0 एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" में प्राविधानित धनराशि रू0 287280.92 लाख में से लोक निर्माण विभाग जनपद सोनभद्र के स्वीकृत मार्गों पर स्थित विद्युत पोल्स को शिफ्ट करने हेतु रू0 285.75 लाख (रू0 दो करोड़ पच्चासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाता/डाक घर में नहीं रखा जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशों/अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-16/दस-2019, दिनांक-06 जनवरी 2019 द्वारा प्राप्त सहमत से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2019/पी-722/अड़तीस-9-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
7- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।